**संख्या-** 83 **/2026/I/** 1284071 **/2026/71-1002(002)/4/2021**

प्रेषक,

**आनन्द कुमार त्रिपाठी,**
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

**महानिदेशक,**
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

**चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1** **लखनऊ : दिनांक** 30 **मार्च, 2026**

**विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा एवं सम्बद्ध चिकित्सालय हेतु विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2025-26/610, दिनॉक 27.02.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा एवं सम्बद्ध चिकित्सालयहेतु विभिन्न मानक मदों में कुल रू0 2050.00 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत राजस्व पक्ष लेखाशीर्षक 2210-01-110-15-02-सरोजनी नायडू चिकित्सालय सम्बद्ध चिकित्सालय, आगरा के के विभिन्न मानक मदों में **रू0 850.00 लाख** तथा लेखाशीर्षक 2210-05-105-03-38-राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा के विभिन्न मानक मदों में **रू0 600.00 लाख**, इस प्रकार पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि कुल **रू0 1450.00 लाख (रू0 चौदह करोड़ पचास लाख मात्र)**की वित्तीय स्वीकृति (संलग्न प्रपत्र बीएम-9 के अनुसार) निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

**नियम व शर्ते/प्रतिबन्ध-**

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक, चि0शि0 का होगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गयी है।
3. जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में नहीं की जाएगी।
4. उक्त संस्थान द्वारा पुनार्विनियोग के माध्यम से की गयी अतिरिक्त मांग की धनराशि के आंकलन/शुद्धता/सत्यता के सम्बन्ध में स्वंय संतुष्ट हो लेंगे।

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. प्रकरण में कोई वित्तीय अनियमितता होती है, तो उसके लिए प्रधानाचार्य स्वंय उत्तरदायी होंगे।
6. स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिनांक 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय

**लेखाशीर्ष:** 2210011101502 (सरोजनी नायडू चिकित्सालय संबद्ध चिकित्सालय आगरा )

| | अनुदान संख्या | लेखा शीर्षक | मानक मद | प्रस्तावित धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 031 | 2210011101502<br>सरोजनी नायडू चिकित्सालय संबद्ध चिकित्सालय आगरा | 29<br>अनुरक्षण | 2,00,00,000<br>( रुपये दो करोड़ मात्र ) |
| 2 | 031 | 2210011101502<br>सरोजनी नायडू चिकित्सालय संबद्ध चिकित्सालय आगरा | 39<br>औषधि तथा रसायन | 4,00,00,000<br>( रुपये चार करोड़ मात्र ) |
| 3 | 031 | 2210011101502<br>सरोजनी नायडू चिकित्सालय संबद्ध चिकित्सालय आगरा | 43<br>सामग्री एवं सम्पूर्ति | 2,50,00,000<br>( रुपये दो करोड़ पचास लाख मात्र ) |
| | **कुल** | | | **8,50,00,000**<br>**( रुपये आठ करोड़ पचास लाख मात्र )** |

**लेखाशीर्ष:** 2210051050338 (मेडिकल कालेज आगरा )

| | अनुदान संख्या | लेखा शीर्षक | मानक मद | प्रस्तावित धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 031 | 2210051050338<br>मेडिकल कालेज आगरा | 01<br>वेतन | 3,50,00,000<br>( रुपये तीन करोड़ पचास लाख मात्र ) |
| 2 | 031 | 2210051050338<br>मेडिकल कालेज आगरा | 21<br>छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन | 2,50,00,000<br>( रुपये दो करोड़ पचास लाख मात्र ) |
| | **कुल** | | | **6,00,00,000**<br>**( रुपये छह करोड़ मात्र )** |
| **महायोग** | | | | 14,50,00,000<br>( रुपये चौदह करोड़ पचास लाख मात्र ) |

के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

**संलग्नक-यथोक्त।**

**भवदीय,**

Digitally signed by
ANAND KUMAR TRIPATHI
Date: 30-03-2026
16:40:56

**(आनन्द कुमार त्रिपाठी )**
संयुक्त सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा।
4. वित्त नियंत्रक, निदेशालय,चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा।
7. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेण्ट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

**(आनन्द कुमार त्रिपाठी)**
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

# बी एम-9 (भाग - 1)

# पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

**(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)**

A071-20252026-001-71-1002-002-4-2021

विषय:- राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा हेतु विभिन्नध मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्य3म से धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बलन्धि में।

**निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण**

,,,,,,,,,,,,

| अनुदान संख्या | लेखाशीर्ष | मानक मद | आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग | आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत | संक्रमित की जाने वाली धनराशि | वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि | संक्रमण शेष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 2210051050387 (मा0 अटल बिहारी बाजपेयी उत्तर प्रदेश चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ) | 31 (सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)) | 8,00,00,000 रुपये आठ करोड़ मात्र | 3,00,00,000 रुपये तीन करोड़ मात्र | 20,00,000 रुपये बीस लाख मात्र | 0 शून्य | 8,00,( रुपये आ |
| 031 | 2210051050387 (मा0 अटल बिहारी बाजपेयी उत्तर प्रदेश चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ) | 20 (सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)) | 7,00,00,000 रुपये सात करोड़ मात्र | 3,55,00,000 रुपये तीन करोड़ पचपन लाख मात्र | 3,55,00,000 रुपये तीन करोड़ पचपन लाख मात्र | 3,55,00,000 रुपये तीन करोड़ पचपन लाख मात्र | 3,45,( रुपये ती पैंतालीस |
| 031 | 2210051050344 (गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर में स्थापित कार्डियोलाजिकल इन्स्टीट्यूट) | 21 (छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन) | 10,00,00,000 रुपये दस करोड़ मात्र | 60,00,000 रुपये साठ लाख मात्र | 60,00,000 रुपये साठ लाख मात्र | 0 शून्य | 10,00 रुपये दस |
| 031 | 2210051050340 (मेडिकल कालेज प्रयागराज) | 03 (मंहगाई भत्ता) | 30,00,00,000 रुपये तीस करोड़ मात्र | 2,00,00,000 रुपये दो करोड़ मात्र | 2,00,00,000 रुपये दो करोड़ मात्र | 2,00,00,000 रुपये दो करोड़ मात्र | 28,00 रुपये अ मात्र |
| 031 | 2210051050324 (राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ) | 41 (भोजन व्यय) | 2,00,00,000 रुपये दो करोड़ मात्र | 54,00,000 रुपये चौवन लाख मात्र | 9,00,000 रुपये नौ लाख मात्र | 0 शून्य | 2,00,( रुपये दो |
| कुल | | | | | ₹ 20,50,00,000 | ₹ 14,50,00,000 | |

| अनुदान संख्या | लेखाशीर्ष | मानक मद | आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग | आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत | संक्रमित की जाने वाली धनराशि | वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि | संक्रमण शेष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 2210051050324 (राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ) | 21 (छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन) | 22,00,00,000 रुपये बाईस करोड़ मात्र | 1,99,00,000 रुपये एक करोड़ निन्यानबे लाख मात्र | 70,00,000 रुपये सत्तर लाख मात्र | 35,00,000 रुपये पैंतीस लाख मात्र | 21,65 रुपये इक पैंसठ ला |
| 031 | 2210051050324 (राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ) | 03 (मंहगाई भत्ता) | 18,60,00,000 रुपये अठारह करोड़ साठ लाख मात्र | 2,24,00,000 रुपये दो करोड़ चौबीस लाख मात्र | 1,80,00,000 रुपये एक करोड़ अस्सी लाख मात्र | 1,80,00,000 रुपये एक करोड़ अस्सी लाख मात्र | 16,80 रुपये सो अस्सी ल |
| 031 | 2210051050324 (राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ) | 01 (वेतन) | 34,08,00,000 रुपये चौंतीस करोड़ आठ लाख मात्र | 1,92,00,000 रुपये एक करोड़ बानबे लाख मात्र | 1,80,00,000 रुपये एक करोड़ अस्सी लाख मात्र | 1,80,00,000 रुपये एक करोड़ अस्सी लाख मात्र | 32,28 रुपये बत्त अट्ठाईस |
| 031 | 2210051050309 (संजय गांधी स्नातकोत्तर आर्युविज्ञान संस्थान लखनऊ) | 31 (सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)) | 8,25,01,00,000 रुपये आठ अरब पच्चीस करोड़ एक लाख मात्र | 24,01,00,000 रुपये चौबीस करोड़ एक लाख मात्र | 4,12,00,000 रुपये चार करोड़ बारह लाख मात्र | 0 शून्य | 8,25,( रुपये आ पच्चीस लाख मा |
| 031 | 2210011101504 (न्यू स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय तथा बाल चिकित्सालय प्रयागराज) | 57 (प्रैक्टिस बन्दी भत्ता) | 25,00,000 रुपये पच्चीस लाख मात्र | 19,00,000 रुपये उन्नीस लाख मात्र | 19,00,000 रुपये उन्नीस लाख मात्र | 0 शून्य | 25,00 रुपये पच्च मात्र |
| 031 | 2210011101504 (न्यू स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय तथा बाल चिकित्सालय प्रयागराज) | 55 (मकान किराया भत्ता) | 1,20,00,000 रुपये एक करोड़ बीस लाख मात्र | 45,00,000 रुपये पैंतालीस लाख मात्र | 45,00,000 रुपये पैंतालीस लाख मात्र | 0 शून्य | 1,20,( रुपये एक लाख मा |
| 031 | 2210011101504 (न्यू स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय तथा बाल चिकित्सालय प्रयागराज) | 03 (मंहगाई भत्ता) | 11,20,00,000 रुपये ग्यारह करोड़ बीस लाख मात्र | 2,40,00,000 रुपये दो करोड़ चालीस लाख मात्र | 2,00,00,000 रुपये दो करोड़ मात्र | 2,00,00,000 रुपये दो करोड़ मात्र | 9,20,( रुपये नौ लाख मा |
| 031 | 2210011101504 (न्यू स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय तथा बाल चिकित्सालय प्रयागराज) | 01 (वेतन) | 18,00,00,000 रुपये अठारह करोड़ मात्र | 3,06,00,000 रुपये तीन करोड़ छह लाख मात्र | 3,00,00,000 रुपये तीन करोड़ मात्र | 3,00,00,000 रुपये तीन करोड़ मात्र | 15,00 रुपये पन्द्र |
| कुल | | | | | ₹ 20,50,00,000 | ₹ 14,50,00,000 | |

**निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण**

,,,,

| अनुदान संख्या | लेखाशीर्ष | मानक मद | वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग | संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि | वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि | संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग | वित्तीय |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कुल | | | | ₹ 20,50,00,000 | ₹ 14,50,00,000 | | |

| अनुदान संख्या | लेखाशीर्ष | मानक मद | वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग | संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि | वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि | संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग | वित्तीय |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 2210051050338 (मेडिकल कालेज आगरा) | 21 (छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन) | 72,00,00,000 रुपये बहत्तर करोड़ मात्र | 5,00,00,000 रुपये पाँच करोड़ मात्र | 2,50,00,000 रुपये दो करोड़ पचास लाख मात्र | 74,50,00,000 रुपये चौहत्तर करोड़ पचास लाख मात्र | 2025-2 |
| 031 | 2210051050338 (मेडिकल कालेज आगरा) | 01 (वेतन) | 54,00,00,000 रुपये चौवन करोड़ मात्र | 3,50,00,000 रुपये तीन करोड़ पचास लाख मात्र | 3,50,00,000 रुपये तीन करोड़ पचास लाख मात्र | 57,50,00,000 रुपये सत्तावन करोड़ पचास लाख मात्र | 2025-2 |
| 031 | 2210011101502 (सरोजनी नायडू चिकित्सालय संबद्ध चिकित्सालय आगरा) | 43 (सामग्री एवं सम्पूर्ति) | 4,00,00,000 रुपये चार करोड़ मात्र | 3,00,00,000 रुपये तीन करोड़ मात्र | 2,50,00,000 रुपये दो करोड़ पचास लाख मात्र | 6,50,00,000 रुपये छह करोड़ पचास लाख मात्र | 2025-2 |
| 031 | 2210011101502 (सरोजनी नायडू चिकित्सालय संबद्ध चिकित्सालय आगरा) | 39 (औषधि तथा रसायन) | 21,00,00,000 रुपये इक्कीस करोड़ मात्र | 6,00,00,000 रुपये छह करोड़ मात्र | 4,00,00,000 रुपये चार करोड़ मात्र | 25,00,00,000 रुपये पच्चीस करोड़ मात्र | 2025-2 |
| 031 | 2210011101502 (सरोजनी नायडू चिकित्सालय संबद्ध चिकित्सालय आगरा) | 29 (अनुरक्षण) | 50,00,000 रुपये पचास लाख मात्र | 3,00,00,000 रुपये तीन करोड़ मात्र | 2,00,00,000 रुपये दो करोड़ मात्र | 2,50,00,000 रुपये दो करोड़ पचास लाख मात्र | 2025-2 |
| कुल | | | | ₹ 20,50,00,000 | ₹ 14,50,00,000 | | |

**कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-**

निदेशक, एस०जी०पी०जी०आई०, लखनऊ के पत्र दिनांक 25.02.2026, प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, आजमगढ़ के पत्र दिनांक 23.02.2026, प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, प्रयागराज के पत्र दिनांक 23.02.2026, निदेशक, हृदय रोग संस्थान कानपुर के पत्र दिनांक 23.02.2026 एवं वित्त अधिकारी, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के दिनांक रहित पत्र के माध्यम से उन्तानुसार विभिन्न मानक मदों में कुल रू० 2050.00 लाख की बचत सम्भावित है।

**2-** स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, आगरा ने अपने पत्र दिनांक 19.02.2026 द्वारा अवगत कराया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 ने सरोजनी नायडू चिकित्सालय सम्बद्ध चिकित्सालय, आगरा ने मानक मद-29-अनुरक्षण में रू० 300.00 लाख, मानक मद-39-औषधि तथा रसायन में रू० 600.00 लाख, मानक मद-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति में रू0 300.00 लाख तथा मेडिकल कालेज आगरा में मानक मद-01-वेतन में रू0 350.00 लाख, मानक मद-21-छात्रवृत्तियाँ और छात्रवेतन में रू० 500.00 लाख, इस प्रकार कुल रू0 2050.00 लाख की अतिरिक्त धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता है।

संख्या:RE-budget-1-570-E-3-409-X-2025-26-दिनांक: 19-03-2026

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एंव हकदारी) प्रथम/द्वितीय,
उ0प्र0, प्रयागराज।

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

(कपिल देव भारती)
उप सचिव।

संख्या : / , दिनांक- मार्च, 2026

---

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

1. महानिदेशक, चिकित्साव शिक्षा एंव प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
2. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।